सत्यमेव जयते
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा/. नीति दिशानिर्देश/ कार्यक्रम /2026
नीति परिपत्र सं. 4.41/ 2026 दिनांक 21st अगस्त, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल सं. BM/31/2024-Bharatmala Division (कम्प्यूटर सं. 261783 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines / Events / 2026
Policy Circular No. 4.41/ 2026 dated 21st August, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. BM/31/2024-Bharatmala Division (Comp No. 261783)}

विषय: मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुशेष : माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन के संबंध में।
Sub: Addendum to Standard Operating Procedure (SOP): Foundation Stone Laying/Inauguration of National Highways Projects by Hon'ble Prime Minister - reg:-

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के आधार शिला शिलान्यास/उद्घाटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 4.28/2023 दिनांक 05 अप्रैल, 2023 द्वारा जारी की गई थी। इसके लिए एक अनुशेष भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 4.36/2024 दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 द्वारा जारी किया गया था।

Standard Operating Procedure (SOP) for Foundation Stone Laying/Inauguration of National Highways Projects by Hon'ble Prime Minister was issued vide NHAI Policy Circular No. 4.28/2023 dated 05th April, 2023. An addendum for the same issued vide NHAI Policy Circular No. 4.36/2025 dated 16th October, 2025.

2. हाल ही के उद्घाटन/ शिलान्यास के आयोजनों के दौरान मिले अनुभव और सीखों के आधार पर, भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 4.36/2025 दिनांक 16.10.2025 द्वारा जारी अनुशेष (उपरोक्त अनुशेष के अधिक्रमण में) में कुछ अतिरिक्त दिशानिर्देश जोड़े गए हैं, जो मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन के लिए **अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न** हैं।

Based on the experience and lessons learnt during the recent events of Inaugurations/Foundation Stone Laying, some additional Guidelines have been added in the addendum issued vide NHAI Policy Circular No. 4.36/2025 dated 16.10.2025 (In supersession of aforementioned addendum) to the existing Guidelines is **enclosed as Annexure-I** herewith for compliance by all Concerned.

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्नकयथोपरी। :
Encl.: As stated above.

21/08/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.

अनुलग्नक I
Annexure I

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुशेष
Addendum to Standard Operating Procedure (SOP)

कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुशेष के विषय पर भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 4.36/2024 दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 का संदर्भ लें। इस मामले की समीक्षा की गई है और इस विषय पर पूर्व के अनुशेष के अधिक्रमण में निम्नलिखित समेकित निर्देश जारी किए जाते हैं।

Please refer to the NHAI Policy Circular No. 4.36/ 2025 dated 16th October, 2025 on the subject of addendum to Standard Operating Procedure (SOP): Foundation Stone Laying Inauguration of National Highways Projects by Hon'ble Prime Minister. The matter is reviewed and following consolidated instruction in supersession of earlier addendum on the subject are issued.

2. यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और आधार शिला समारोह के आयोजन के लिए नीति परिपत्र संख्या 4.28/2023 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जारी एसओपी के परिवर्धन में कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए है: -

This to outline some valuable insights and guiding principles in addition to the SOP issued vide Policy Circular No. 4.28/2023 dated 05.04.2023 for organizing Inauguration and Foundation Stone ceremony of National Highway Projects by Hon'ble Prime Minister: -

(i) **जिम्मेदारियों की पहचान और उन्हें अधिकारियों को सौंपना**- आयोजन की तैयारी के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों की पहचान की जानी चाहिए और उपलब्ध अधिकारियों को उनके स्थान और इस संबंध में जारी कर्तव्य आदेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें सौंपा जाना चाहिए, जिससे कुशल परिणाम के लिए सभी को स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सके।

Identification of responsibilities and assigning the same to Officers-The various activities which need to be done for the preparation of event are to be identified and the same be assigned to the available Officers duly taking into account their location and duty order to this effect issued giving clear guidance to all for efficient outcome.

(ii) **आयोजन स्थल की पहचान और आवश्यक एनओसी प्राप्त करना** - आयोजन की तिथि और स्थान की घोषणा के बाद, क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना निदेशक को आयोजन के स्थान की पहचान करने के लिए तुरंत जिला कलेक्टर के साथ समन्वय करना चाहिए। आयोजन के स्थान का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए- **स्थान की क्षमता**- आमतौर पर माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में दर्शकों की संख्या 25 हजार से 1 लाख तक होती है। इसलिए स्थान की क्षमता कार्यक्रम के संभावित उपस्थित लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

Identification for Venue of Event and obtaining the necessary NOC - After declaration of the date and location of event, the Regional Officer & Project Director to immediately coordinate with the District Collector to identify the site of the event. The following is to be taken into account while selecting the site of event- **Capacity of site**-Generally the events of Hon'ble PM has an audience size varying from 25 thousand to 1 lakh. Hence the capacity of the site should be sufficient to accommodate the possible attendees of the event.

- **हेलीपैड के लिए पास में स्थानों की उपलब्धता।**
  Availability of spaces nearby for Helipad.
- **वाहन पार्किंग के लिए स्थान की उपलब्धता और आयोजन स्थल के लिए अच्छी कनेक्टिविटी।**
  Availability of space for Vehicle parking and good connectivity to the event location.

(iii) **सुरक्षा और संरक्षा**: सुरक्षा और संरक्षा के उद्देश्य से एसपीजी, राज्य पुलिस बल के समन्वय में आवश्यक प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए कमान संभालती है। हालांकि, चूंकि प्रत्येक क्रियाकलाप एसपीजी प्रभारी के पर्यवेक्षण के तहत किया जाता है, इसलिए बाद के चरणों में परेशानी से बचने के लिए भाराराप्रा अधिकारी द्वारा उनके साथ तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए।
Security and Safety: For security and safety purpose, the SPG takes command for ensuring required protocol in co-ordination with State Police Force. However, since each and every activity is done under supervision of SPG in-charge, immediate communication with them needs to be made by NHAI Official to avoid hassle at later stages.

(iv) **भीड़ प्रबंधन** - यह आमतौर पर जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है लेकिन भारी संख्या में लोगों के आने के लिए योजना की जानी चाहिए और जनता को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए पीने के पानी, भोजन और शौचालयों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा, आम जनता की सुविधा के लिए प्रतिकूल मौसम की स्थिति के लिए अतिरिक्त व्यवस्था जैसे उचित संख्या में पंखे/कूलर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
Crowd Management - This is generally done by district administration but planning should be made for significant turnout and proper provision of drinking water, food and toilets should be made to avoid any inconvenience to public. Further, additional arrangements for adverse weather conditions such as availability of proper number of Fans/ Coolers etc. to be ensured for comfort of the General Public.

(v) **मौसम संबंधी आकस्मिकताएं** - प्रतिकूल मौसम की स्थिति में स्थानीय मौसम की स्थिति और आकस्मिकता योजनाएँ का ध्यान रखें जैसे कि वाटर प्रूफ टेंट, नालियां, हार्ड ट्रैक आदि तैयार किए जा सकते हैं। बरसात के मौसम की आशंका को देखते हुए, पहुंच मार्गों की तत्काल मरम्मत के लिए ड्राई जीएसबी जैसी पर्याप्त बैकअप सामग्री का भंडारण किया जाना चाहिए।
Weather Contingencies - Account for local weather conditions and contingency plans in case of adverse weather such as Water proof Tents, drains, hard tracks, etc. may be prepared. In anticipation of rainy season, adequate backup material like dry GSB etc. to be stored for instant repair of approach roads.

(vi) अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए ग्रीन रूम में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक मानक सूची एसपीजी अधिकारियों से प्राप्त की जानी चाहिए।
A standard list of essential items required for Hon'ble PM in Green Room should be obtained from SPG Officials to avoid last minute hurry.

(vii) अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीवीआईपी) जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों आदि और विभागीय प्रमुखों के लिए अतिरिक्त ग्रीन कक्षों/लाउंज की योजना बनाई जानी चाहिए और एसपीजी तथा डीसी के परामर्श से मंच के पास आयोजन स्थल पर स्थापित किया जाना चाहिए। सभी ग्रीन कक्षों/लाउंज में उचित कूलिंग व्यवस्था और शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।
Additional Green Rooms/Lounges for VVIPs e.g. Governor, CM, Ministers etc. and departmental Heads be planned and erected at Venue near the dias in consultation with SPG and DC. Proper cooling arrangements and toilet facilities to be ensured in all Green Room/Lounges.

(viii) सभी वॉशरुम, विशेष रूप से ग्रीन कक्ष और पीएमओ में पानी की उपलब्धता और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा, आयोजन स्थल पर उचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में वॉशरुम/सार्वजनिक शौचालय सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
Availability and adequate flow of water to be ensured in all Washrooms particularly Green Room and PMO. Further sufficient no. of Washrooms/Public Toilets may be ensured at event venue at proper locations.

(ix) ऑडियो घटकों के विनिर्देशों/मेक/ब्रांड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। मंच और पंडाल (सामान्य बैठने के क्षेत्र सहित) पर ऑडियो-विजुअल सिस्टम का परीक्षण कार्यक्रमं शुरू होने के समय से पहले किया जाना चाहिए। मंच पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। आईटी उपकरणों की तैनाती से पहले लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रोटोकॉल, जिसमें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इंटरनेट बैंडविड्थ और गति शामिल हैं, तय किए जाने चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए एक समर्पित आईटी टीम को तैनात किया जा सकता है। कभी-कभी एसपीजी द्वारा जैमर चालू करने पर एवी सिस्टम में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए एवी सिस्टम, टू-वे वीसी सिस्टम का इसके लिए परीक्षण किया जाना चाहिए और इसके लिए परीक्षण आयोजित किए जाने चाहिए।
Specifications/ make / brand of audio components to be specified and additional devices may be used to ensure high quality audio. Audio-Visual system on the dias and pandal (including general seating area) to be tested well in advance of the event start time. Adequate lighting arrangements to be ensured at dias. Protocols for live streaming including streaming platform, internet bandwidth and speed to be decided before deployment of IT tools. A dedicated IT team may be deputed for supervision of live streaming activities. Sometime interference in the AV system is caused when the jammers are put on by the SPG. So the AV Systems, two way VC systems should be tested for it and trials be conducted for it.

(x) जिस क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहां के स्थानीय व्यंजनों को वीवीआईपी, पीएमओ और अन्य मेहमानों/अधिकारियों के भोजन मेनू में शामिल किया जा सकता है।
Local Cuisines of the area, where the event is held may be included in the food menu for the VVIPs, PMO and other Guests/Officials.

(xi) नवीनतम प्रवृत्ति के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से खुले वाहन में कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सकते हैं। वह मंच पर पहुंचने से पहले आयोजन स्थल के भीतर जनता के बीच से गुजर सकते हैं। इस मुद्दे पर एसपीजी के साथ पहले से चर्चा की जानी आवश्यक है और पर्याप्त बैरिकेडिंग तथा वाहन ट्रैक (यदि मृदा कमजोर है, तो हमें डब्लूएमएम/डीबीएम करना पड़ सकता है) तैयार किया जाना चाहिए।
As per the latest trend, Hon'ble Prime Minister may visit of Programme venue in open vehicle through the Public Area. He may move through the Public inside the Venue before reaching the Dias. This issue is required to be discussed with SPG in advance and adequate barricading and vehicle track (if soil is weak, we may have to do WMM/DBM) be prepared.

(xii) सुरंगों (टनल), एक्स्ट्रा डोज्ड केबिल स्टेड सेतु आदि जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, प्रधानमंत्री निर्माण/तल श्रमिकों के साथ बातचीत करना पसंद कर सकते हैं। इस संबंध में आवश्यक तैयारी और एसपीजी के साथ संपर्क कुछ समय पूर्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
For specialized Projects like tunnels, extra dosed cable stayed bridge etc., PM may like to interact with the Construction/Ground Workers. Necessary preparation and liaisoning with SPG in this regard should be ensured well in advance.

(xiii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) जी की ओर से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पर्याप्त समय पूर्व भेजा जाए।
It should be ensured that an invitation for the Programme from Hon'ble Minister (RT&H) to the Chief Minister of the concerned State be send well in advance.

(xiv) विभूतियों के अभिनंदन के लिए स्मृति चिन्ह, पगड़ी आदि जैसी सामग्री कार्यक्रम से कम से कम एक दिन पहले खरीदी जानी चाहिए और उनकी उपयुक्तता की विधिवत जांच की जानी चाहिए।
Material for felicitation of the dignitaries like Memento, Turban etc. should be procured at least one day prior to the event and should be duly checked for their fitment.

(xv) समारोह में अधिकारियों की संख्या को अधिमानतः 500 व्यक्तियों तक सीमित रखा जा सकता है।
The function for Officials may preferably be restricted to 500 persons.

(xvi) इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को कार्यक्रम से कम से कम 24 घंटे पहले सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, ताकि अंतिम क्षण की परेशानियों से बचा जा सके और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
The Event Management Agency should be directed to complete all preparation at least 24 hrs prior to program, so that last moment hassles may be avoided and program may be successfully completed.

(xvii) पंडाल में पर्याप्त संख्या में लैपटॉप/डेस्कटॉप, प्रिंटर और पॉइंटर्स के साथ एक छोटा सेटअप उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही, सभी चित्रों और वीडियो की प्रति एक पेन ड्राइव में उपलब्ध होनी चाहिए।
A small set up should be available in pandal with Sufficient number of laptops/desktops, printers and pointers. Also, the copy of all pictures and videos should be available in a pen drive.

(xviii) एसपीजी द्वारा लगाए गए जैमरों के कारण होने वाले व्यवधान के कारण संचार के लिए वॉकी-टॉकी का उपयोग किया जाएगा।
Walkie Talkie shall be used for communication due to interference caused by jammers put on by the SPG.

(xix) वीडियोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन और इवेंट मैनेजमेंट के व्यक्तियों के लिए प्रॉक्सिमिटी पास प्राप्त किए जाने चाहिए।
Proximity passes should be procured for Video Person, electrician and Event Management Individuals.

(xx) कार्यक्रम से पहले सभी कार्यकारी सदस्यों के लिए वाहन पास प्राप्त किए जाने चाहिए।
Vehicle passes should be procured for all Executive Members prior to the event.

(xxi) शिलान्यास/उद्घाटन के तहत परियोजना के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन का राज्य-एनएच मानचित्र और अच्छी गुणवत्ता वाला 3D मॉडल उपलब्ध होना चाहिए।
State-NH Map of high resolution for Project under Foundation stone/Inauguration along with good quality 3D model should be available.

(xxii) प्रदर्शनी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के सार-संक्षेपण को मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
Briefing of PM in the exhibition area to be included in minute-to-minute programme.

(xxiii) मीडिया टीम द्वारा कार्यक्रम के बाद प्रिंट/डिजिटल मीडिया रिपोर्टों की सक्रिय रूप से निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। मीडिया टीम आरओ के समन्वय से तथ्यात्मक रूप से गलत या राजनीतिक रूप से प्रेरित रिपोर्टों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं/काउंटर नैरेटिव तैयार करेगी।
A mechanism should be established by Media Team to proactively monitor print/ digital media reports after the event. The Media Team in co-ordination with ROs shall prepare ready responses/ counter narratives to address factually incorrect or politically motivated reports.

(xxiv) उद्घाटन के लिए पहचानी गई महत्वपूर्ण परियोजनाएं/कॉरिडोर जैसे कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे/हाई स्पीड कॉरिडोर/विशिष्ट प्रोजेक्ट/₹2500 करोड़ से अधिक की कुल पूंजीगत लागत वाली परियोजनाओं का किसी प्रतिष्ठित तीसरे पक्ष की इकाई/प्रमुख संस्थानों जैसे कि आईआईटी, एनआईटी आदि द्वारा उद्घाटन के बाद संभावित यातायात आवाजाही के प्रभाव, जल निकासी आदि संबंधी स्वतंत्र ऑडिट किया जा सकता है।

Important Projects/ Corridors identified for inauguration such as Greenfield Expressways/ High Speed Corridors/ Specialized Projects/ Projects with Total Capital Cost more than Rs. 2500 Cr. may undergo an independent audit by a reputed Third-Party Entity/ Premier Institutions such as IITs, NITs, etc. with focus on the impact of anticipated traffic movement after opening, drainage etc.

(xxv) उद्घाटन/ यातायात के लिए खोले जाने के बाद, पहले तीन महीनों के दौरान साप्ताहिक आधार पर और बाद के तीन महीनों के दौरान पाक्षिक आधार पर संविदाकार/ कंसेसनेयर के संबंधित परियोजना प्रबंधक और पर्यवेक्षण परामर्शदाता (एई/आईई) के टीम लीडर द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना खंड का निरीक्षण किया जाएगा ताकि उचित पेवमेंट और राइडिंग गुणवत्ता, जल निकासी, सुरक्षा प्रतिष्ठानों, तटबंध ढाल आदि को सुनिश्चित किया जा सके।

After Inauguration/ opening to traffic, the Project stretch shall be jointly inspected by concerned Project Manager of the Contractor/ Concessionaire and the Team Leader of Supervision Consultant (AE/IE) on weekly basis during the first Three Months and Fortnightly during the subsequent three Months to ensure proper Pavement and Riding Quality, Drainage, Safety Installations, Embankment Slope, etc.

(xxvi) मार्ग गश्ती वाहन नियमित रूप से राजमार्ग के खोले जाने के बाद केंद्रित/गहन निगरानी के साथ पूर्ण पर लंबाई गश्त करेंगे। किसी भी देखे गए या संभावित दोष/गिरावट को जियो-टैग किया जाएगा और तुरंत परियोजना निदेशक, संविदाकार/ कंसेसनेयर और एई/आईई/ पर्यवेक्षण परामर्शदाता को सूचित किया जाएगा। पीआईयू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में प्रेक्षणों के निवारण के लिए समय पर सुधार किया जाए।

Route Patrol Vehicles shall undertake full length patrol regularly with focused/ intense monitoring after opening of the Highway. Any defect/ deterioration observed or anticipated shall be geo-tagged and immediately reported to the Project Director, Contractor/Concessionaire and AE/IE/ Supervision Consultant. PIUs must ensure timely rectification is taken for redressal of observations in this regard.